

17.07.2025 वकिल प्रार्थीगण अट्टपारथित। चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी शरत में आवेदन पत्र आगे चलाने का औचित्य नहीं है। मिट्टाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली कैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा